निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1944 (श0)

(सं0 पटना 497) पटना, बुधवार, 13 जुलाई 2022

सं० 08/नि०था०–11–02/2019 सा0प्र0—9545
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
13 जून 2022

श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1104/11 (1341/08), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, रहुई (नालन्दा) के विरूद्ध इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में गंभीर अनियमितता बरतने एवं उक्त मामले में निगरानी थाना कांड संख्या-030/2008 दिनांक 29.05.2008 दर्ज होने तथा श्री कुमार को नामजद अभियुक्त बनाये जाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6691 दिनांक 19.06.08 द्वारा श्री कुमार को आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-4850 दिनांक 16.10.09 द्वारा श्री संजय कुमार, बि.प्र.से., कोटि क्रमांक-1104/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र-'क', श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा से श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4287 दिनांक 21.03.12 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री कुमार के विरूद्ध मुख्य रूप से यह आरोप है कि उनके द्वारा रहुई प्रखण्ड के हवनपुरा पंचायत में मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 38 लाभुकों के खाता खोलवाने में अनियमितता बरती गयी । लाभुकों की अनुपस्थिति तथा बिना उनका फोटो तथा आवश्यक कागजात प्राप्त किये मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, निजाय के द्वारा खाता खोला गया । खाता खोलवाने में संबंधित कर्मियों द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा खाता खोलने में अनियमितता बरती गयी ।

संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-449 दिनांक 07.06.12 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया ।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा व्यक्त की गयी असहमति तथा असहमति के बिन्दु पर श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16477 दिनांक 04.12.12 द्वारा निलम्बन मुक्त करते हुए 'निन्दन (वर्ष 2007-08) एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड संसूचित किया गया। साथ ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4052 दिनांक 11.03.13 द्वारा श्री कुमार के निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने तथा उक्त अवधि के पेंशन प्रयोजनार्थ सेवा में गणना किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा दायर पुनर्विलोकन अर्जी को समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7088 दिनांक 03.05.13 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

संसूचित दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC सं0-11369/14 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.19 को आदेश पारित करते हुए दंडादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16477 दिनांक 04.12.12 तथा पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7088 दिनांक 03.05.13 को निरस्त (Quashed) कर दिया गया।

न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"13. In view of such procedural irregularity, the consequential findings of the Disciplinary Authority based on such illegal and unfair procedure is unsustainable. In this connection, this Court would only reiterate the law as laid down by the Apex Court in the case of Punjab National Bank and Others-Versus-Kunj Behari Misra, (1998) 7 Supreme Court Cases 84. The punishment imposed by the Disciplinary Authority under communication dated 04.12.2012 being outcome of a procedure in violation of Rule 18 of Bihar CCA Rules, 2005 as also the law in this regard in the case of Kunj Behari Misra (supra) is, therefore, quashed.

14. In view of quashing of the order of punishment, the consequential order issued by the Joint Secretary (respondent No 3) reiterating the illegal order of the Disciplinary Authority and without considering the illegal procedure adopted by the Disciplinary Authority and communicating rejection of petitioner's appeal under Letter dated 03.05.2013 bearing Memo No.-7088 are also unsustainable and are hereby quashed.

15. The writ petition is allowed.

16. As a result of quashing of the impugned order, the petitioner would be entitled to all consequential benefits.

17. However, this order would not preclude the respondent-authorities from proceeding against the petitioner by following the procedure prescribed under Bihar CCA Rules, and in accordance with law."

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध LPA दायर करने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श में अंकित किया गया कि उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि CWJC में मा0 Single Judge द्वारा पारित न्यायादेश के विरुद्ध LPA में सफल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वादी को दिया गया दंड minor nature (लघु दंड) का है और यदि State चाहे तो नियमानुसार Fresh कार्यवाही का निर्णय भी ले सकता है।

विधि विभाग का परामर्श निम्नवत् है :-

"In my opinion, the findings recorded by the Hon'ble High Court cannot be faulted to the extent that the letter no. 972 dated 13.02.2012 of the District Magistrate, Nalanda was nowhere discussed by the Inquiry Officer in his inquiry report. If this letter was not part of the departmental proceeding, then the same could not have been based for recording

difference. However, the Presenting Officer did bring on record D.D.C. letter no. 3234 dated 12.12.2011 and D.M. letter no. 784 dated 04.02.2012. If these two documents are substantially same and similar as that of letter no.972 dated 13.02.2012 of the D.M. Nalanda then a point can be raised that no substantial prejudice is caused to the delinquent. However, the grounds of appeal prepared as draft and kept at page-1175-1173/C, does not sugest the same. Under the given facts, there is very little scope of success if the state proposes to go in appeal againts the Single Judge order. The penalty imposed is minor in nature and liberty is already given to continue the proceeding afresh against the delinquent, if desired by the state in accordance with law."

CWJC No-11369/14 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.19 को पारित आदेश एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6288 दिनांक 29.06.20 द्वारा श्री कुमार को संसूचित दंडादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16477 दिनांक 04.12.12 तथा पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7088 दिनांक 03.05.13 को वापस लिया गया एवं श्री कुमार के विरुद्ध Fresh कार्यवाही हेतु नये प्रपत्र में आरोप पत्र गठित करते हुए आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। साथ ही अनुमोदित आरोप पत्र के साथ विभागीय पत्रांक-6945 दिनांक 07.08.20 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी ।

उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण (05.03.2022 एवं 29.03.2022) समर्पित किया गया, जिसमें उनका मुख्य रूप से कहना है कि वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हवनपुरा पंचायत के लाभुकों सहित अन्य पंचायतों के लाभुकों के बैंक खाता खुलवाने में उनके द्वारा कोई अनियमितता/ लापरवाही नहीं बरती गयी है, पर्यवेक्षण में कोई कमी नहीं हुई है, योजना में लाभ राशि की क्षति, गबन या दुर्विनियोग का कोई प्रमाण नहीं है एवं लापरवाही/पर्यवेक्षण की कमी का आरोप काल्पनिक है ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा प्रस्तुत मामले की जाँच दो बार करायी गयी । प्रारम्भ में श्री अब्दुल वहाब अंसारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, बिहार शरीफ से मामले की जाँच करायी गयी। तत्पश्चात् मामले की गहन जाँच हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। त्रिसदस्यीय समिति के जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:-

"मुखिया रंजन यादव एवं पंचायत सेवक रामावतार प्रसाद ने खाता खोलने में पूरी अनियमितता बरती है एवं जालसाजी भी किया है । शाखा प्रबंधक, मध्य ग्रामीण बैंक, निजाय ने खाता खोलने संबंधी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेश का पालन नहीं करते हुए खाता खोलने में पूरी अनियमितता बरती है। खाता खोलने हेतु व्यक्तियों को स्वयं उपस्थित होना है। खाता खोलने के समय आवेदक का स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक है तथा उसका फोटो भी रहना चाहिए। आवेदक को एक पहचानकर्त्ता भी चाहिए। जबकि कई मामलों में बिना किसी कागजात के खाता खोलने एवं बन्द करने संबंधी पंजी में नाम प्रविष्टि करते हुए खाता संख्या आवंटित कर दिया गया। बिना फोटो के एवं बिना व्यक्ति के उपस्थित हुए उनका खाता खोला गया है। अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री संजय कुमार ने अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया।"

पूर्व में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा दिये गये मंतव्य में भी उन्हें लापरवाही-व-पर्यवेक्षण का दोषी पाया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 07.01.19, प्रतिवेदित आरोप एवं संचिका में उपलब्ध कागजात/अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभुकों के खाता खोलने में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। संबंधित मुखिया, पंचायत सेवक एवं बैंक के अधिकारियों/कर्मियों द्वारा खाता खोलने में लापरवाही बरती गयी है । श्री कुमार द्वारा उक्त कार्य हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है। स्पष्टतया श्री कुमार के कार्य में पर्यवेक्षण में चूक परिलक्षित होता है ।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण अस्वीकृत करते हुए श्री कुमार द्वारा अपने कर्त्तव्य/दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने/लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड उन्हें अधिरोपित/संसूचित किया जाता है:-

(i) निन्दन (वर्ष 2007-08)

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 497-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in